



दूरभाष/Telephone-0612-2225634

फैक्स/Fax 0612-2221056

ई-मेल/E-mail-agaebihar@cag.gov.in

वेबसाइट/Website- https://cag.gov.in/ae/bihar/en

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL(A&E), BIHAR, PATNA

का०आ०सं०/O.O.No.-Admn-I/(A&E)/1208/4/24-25/C-27

दिनांक/Date 10/04/2024

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार, निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुभागों में पदस्थापित किया जाता है:

Sl. No.	NAME (Shri/Ms.)	Desgn.	Present Posting	Posted to
1.	Amit Kumar Jha	AAO	WFP in Admn-I	Fund
2.	Arti Kumari	AAO	WFP in Admn-I	WM-VI
3.	Anand Prakash	AAO	Pen-18	Pen-13
4.	Virendra Kumar Mehta	Supervisor	WFP in Admn-I	TA-17
5.	Shailendra Kumar	Supervisor	WFP in Admn-I	TA-7
6.	Aslam Imam	Supervisor	WFP in Admn-I	ITA

कार्यालय आदेश संख्या C-338 दिनांक 20.03.2024 के द्वारा श्री जितेंद्र मल्होत्रा, स०ले०अ० के WM-III अनुभाग में पदस्थापन को निरस्त करते हुए WM-II अनुभाग में ही पदस्थापित किया जाता है।

सभी सहायक लेखा अधिकारियों को एतद द्वारा यह भी निदेशित किया जाता है कि लेखाकार/व० लेखाकार आदि का समानुपातिक अनुपलब्धता होने के कारण संचिका को अपने स्तर से भी सीधे अपने नियंत्री पदाधिकारी को उपस्थापित करने का कार्य करेंगे।

उक्त सभी संबन्धित अधिकारी (वैसे अधिकारी जिनका वर्तमान अनुभाग बदला नहीं है, को छोड़कर) को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नए अनुभाग में योगदान कर कार्यभार प्रतिवेदन प्रशासन- II अनुभाग में समर्पित करेंगे।

प्रशासन- II अनुभाग को एतद द्वारा निदेशित किया जाता है कि सभी संबन्धित अधिकारी एवं कर्मियों का कार्यभार प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रशासन-I को सूचित करते हुए आगामी माह के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार (ले० & ह०) का सचिवालय
2. व० उप महालेखाकार (प्रशासन & जीई) का सचिवालय
3. उप महालेखाकार (लेखा, वीएलसी & कार्य) का सचिवालय
4. उप महालेखाकार (पेंशन & निधि) का सचिवालय
5. व०लेखा अधिकारी/स० लेखा अधिकारी-पेन-01/टी एम/डब्ल्यू एम-1/जी एम
6. डाटा मैनेजर/स० लेखा अधिकारी/आई टी एस-कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय के सभी अधिकारी / कर्मचारी (द्वारा सोशल नेटवर्किंग ग्रुप)
8. संबन्धित अधिकारी।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन -I)